न्यायालयः— सहायक कलेक्टर(उपखण्ड अधिकारी) सांचौर
पीठासीन अधिकारी — श्री ओम प्रकाश (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :— 11/2020

वादीया

1. झूमीदेवी बेवा पीराराम जाति रेबारी, निवासी सुरावा, तहसील सांचौर, जिला जालौर (राज0)

बनाम

प्रतिवादीगण

1. कालाराम पुत्र मेगा
2. गणेशाराम पुत्र मेगा
3. जगमाल पुत्र मेगा
4. झांजू पुत्री मेगा
5. रामाराम पुत्र मेगा
6. वाजीराम पुत्र मेगा
7. रहियादेवी पत्नि मेगा
8. मफाराम पुत्र वरजांगाराम
9. बलू पत्नि वरजांगाराम

जातियान— रेबारी, निवासीगण दघुड़ा(सुरावा), तहसील सांचौर, जिला जालौर(राज0)।

10. पुराराम पुत्र भेराराम
11. संग्रामाराम पुत्र भेराराम

जातियान— कलबी, निवासीगण दघुड़ा(सुरावा), तहसील सांचौर, जिला जालौर(राज0)।

12. शाखा प्रबन्धक **SBBJ** हाल **SBI** शाखा पांचला, तहसील सांचौर।
13. सरकार जरिये तहसीलदार सांचौर, जिला जालौर (राज0)

दावा बाबत् ईश्तकरारहक, खातेदारीहक।
अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act.

उपस्थित :—

1— वादीया की ओर से वकील श्री सगताराम चौधरी।
2— प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 की ओर से वकील श्री शंकर चौधरी।
3— प्रतिवादी संख्या 12 एक पक्षीय।
4— प्रतिवादी संख्या 13 की ओर से नायब तहसीलदार —सांचौर।

निर्णय

दिनांक 06/12/2021

1. वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीया व प्रतिवादीगण 1 ता 9 सभी हिन्दु संयुक्त परिवार के सदस्य है तथा मृत श्री जोधा पुत्र परबता के जायज वारीसान व उतराधिकारीगण है। सुविधा हेतु वंशावली निम्न प्रकार है:—

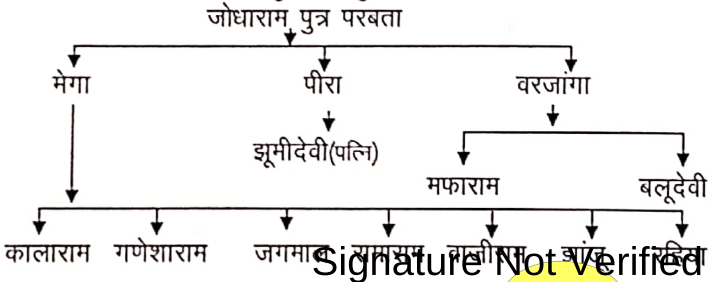

Signature Not Verified
Digitally signed by Shailendra Singh
Date: 2022.05.31 11:16:38 IST
Reason: SelfAttested

इस प्रकार मृत श्री जो… तीनो ही फौत हो गये है उनके वारीस… स्व0 श्री जोधाराम के उपरोक्त सभी वारीसा… दीगण है। मृत श्री जोधाराम के पुत्र मृत स्वर्गीय श्री पीरा की वादीया विधवा … है जिनके कोई पुत्र नही है लेकिन जगमाल जो कि मेगा का पुत्र है, ने मेगा व पीरा दोनो का पुत्र बनकर जमीन में नाम विधिविरूद्ध तौर से दर्ज करवा दिया तथा वादीया को अपने पैतृक हको

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, साचौर)

Scanned by CamScanner

से वंचित कर दिया। सरहद मौजा दधुड़ा में वर्तमान खेत खसरा नम्बर 150 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 151 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 152 रकबा 1.65 हैक्टर, खसरा नम्बर 36 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 37 रकबा 2.84 हैक्टर, खसरा नम्बर 37/187 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 40 रकबा 0.29 हैक्टर जुमले रकबा 4.87 हैक्टर जिसके खाता नम्बर 13 तथा इसी ग्राम दधुड़ा के खेत खसरा नम्बर 161 रकबा 2.37 हैक्टर के आये हुऐ है जो पुराने खेत खसरा नम्बर 7, 39, 47 से नवसर्जित हुऐ है जो वादीया व प्रतिवादीगण 1 ता 9 की पैतृक सम्पति के खेत है जिसमें उतराधिकार के अनुसार 1/3 हिस्सा वादीया का, 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 का, 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 8 व 9 का है। इसी अनुसार मौके पर भी कब्जा कास्त है। प्रतिवादी संख्या 10 व 11 को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने अपने हिस्से में से बैचान रजिस्ट्री रास्ते हेतु करवाई थी, लेकिन अभी मौके पर कोई रास्ता वगैरा नही है तथा प्रतिवादी संख्या 10 व 11 का मौके पर कब्जा नही है, फिर भी राजस्व रेकर्ड में नाम इन्द्राज होने से उन्हे पक्षकार संयोजित किये है। कि चुंकि वादग्रस्त आराजी में वादीया का पीरा की शादीसुदा पत्नि होने के नाते पीरा की मृत्यु पर 1/3 हिस्सा उनका विधिक अधिकार है लेकिन वादीया के ससूर स्व0 जोधाराम की मृत्यु से पहले ही वादीया के पति पीराराम की मृत्यु हो गई थी इस कारण मृत स्व0 श्री जोधाराम की मृत्यु होने पर पीराराम के वारीस के तौर पर प्रतिवादी जगमाल ने अपने आप को पीराराम का पुत्र बताकर पीराराम के वारीस के तौर पर नाम इन्द्राज करवा दिया जबकि पीराराम के जगमाल नाम का कोई पुत्र नही है। प्रतिवादी जगमाल ने केवल जमीन हड़पने हेतु विधिविरूद्ध तौर से नाम इन्द्राज करवाया है जो निरस्त योग्य है तथा वादीया पीराराम की विधवा औरत होने से पीरा के हिस्से की आराजी पाने की विधिसम्मत अधिकारीणी है। कि चुंकि वादग्रस्त आराजी में पीरा की 1/3 हिस्से की आराजी की वादीया कानूनी वारीस होने से तथा वादीया का 1/3 हिस्सा पर कब्जा कास्त मौजूद होने से राजस्व रेकर्ड में दर्ज जगमाल पुत्र पीरा बिना किसी गौदनामें या बिना किसी वैध दस्तावेज के या बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश से मात्र सरपंच द्वारा जारी उतराधिकारी प्रमाण पत्र के आधार पर पीरा के स्थान पर जगमाल पुत्र पीरा दर्ज किया गया है जबकि जगमाल, पीरा का पुत्र न होकर मेगा का पुत्र है, इतना ही नही पीरा या वादीया ने जगमाल को कभी गोद पुत्र के रूप में भी गौद लेकर गौद सम्बन्धित विधि की प्रक्रिया नही की है तथा न ही गौद लिया है। ऐसी अवस्था में मात्र सरपंच द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर जगमाल पुत्र पीराराम का नाम विधिविरूद्ध तौर से दर्ज किया गया है जो इन्द्राज निरस्त योग्य है।

2. वाद को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। जिस पर दिनांक 18.02.2020 को वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 की ओर से राजीनामा पेश किया गया जिसको उसी रोज तस्तीक किया गया। वादीगण व प्रतिवादीगण ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि वादीया व प्रतिवादीगण के उपरोक्त अनवान प्रकरण से सम्बन्धित खेतो बाबत राजीनामा हो गया है। राजीनामा माफिक उक्त प्रकरण की आराजी खेत खसरा नम्बर 150 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 151 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 152 रकबा 1.65 हैक्टर, खसरा नम्बर 36 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 37 रकबा 2.84 हैक्टर, खसरा नम्बर 37/187 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 40 रकबा 0.29 हैक्टर जुमले रकबा 4.87 हैक्टर जिसके खाता नम्बर 13 तथा इसी ग्राम दधुड़ा के खेत खसरा नम्बर 161 रकबा 2.37 हैक्टर में दर्ज जगमाल वल्द पीरा का 1/3 हिस्सा दर्ज किया है वह गलत है। क्योकि जगमाल पीरा का लडका न होकर मेगा का लडका है, इस कारण हम सभी सहमत होकर जगमाल वल्द पीरा के स्थान पर झुमीदेवी बैवा पीरा(वादीया) का नाम दर्ज करवाना चाहते है। इसी बाबत् हम सभी सहमत है। राजस्व रेकर्ड में दर्ज जगमाल वल्द पीरा का नाम डीलेट करवाना चाहते है। इसके अलावा जो इन्द्राज है वह यथावत रखना चाहते है। इसी माफिक हमारे राजीनामा हुआ है। अतः निवेदन है कि श्रीमान [illegible] मौजा दधुड़ा के खेत खसरा नम्बर खसरा नम्बर 150 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 151 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 152 रकबा 1.65 हैक्टर, खसरा नम्बर 36 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 37 रकबा 2.84 हैक्टर, खसरा नम्बर 37/187 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 40 रकबा 0.29 हैक्टर जुमले रकबा 4.87 हैक्टर जिसके खाता नम्बर 13 तथा इसी ग्राम दधुड़ा के खेत खसरा नम्बर 161 रकबा 2.37 हैक्टर में दर्ज जगमाल वल्द पीरा 1/3 हिस्सा के स्थान पर वादीया का नाम दर्ज किया जावे तथा जगमाल वल्द पीरा का नाम डीलेट किया जावे तथा शेष इन्द्राज यथावत रखा जावें। इसी अनुसार डिक्री जारी की जावें। प्रतिवादीगण 12 व 13 बावजूद तामिल के उपस्थित नही होने से उनका जबाव बन्द किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shailendra Singh
Date: 2022.05.31 11:16:38 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned by CamScanner

इस प्रकरण में वादीया की ओर से गवाह झुमीदेवी पी0डब्ल्यु –1 पेश हुई तथा प्रदर्श –1 लगायत 7ए दस्तावेज प्रदर्शित करवाये।

3. प्रकरण में बहस उभय पक्ष सुनी गई वादीया वकील ने प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। प्रतिवादीगण वकील ने भी माफिक राजीनामा डिक्री जारी करने बाबत सहमति जताई।

4. हमने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखो का अध्ययन अवलोकन किया तथा राजीनामा व प्रस्तुत दस्तावेजात प्रर्दश 1 लगायत 7ए का अध्ययन अवलोकन किया, खतौनी बन्दोबस्त 2012 से 2031 के खाता नम्बर 16 जो प्रदर्श 3 व जमाबन्दी संवत 2038 से 2041 के खाता नम्बर 8 जो प्रदर्श 4 है, में वादीया के ससुर जोधा पुत्र परबता का नाम दर्ज है। तथा प्रदर्श 6 मिलान क्षैत्रफल है जिसके अनुसार पुराने खेतो से वर्तमान खसरे नवसर्जित होना साबित है। वाद में इसी पैतृक आराजी बाबत् वादीया व प्रतिवादीगण ने राजीनामा पेश कर वादीया का 1/3 हिस्सा होना स्वीकार किया है तथा प्रतिवादी जगमाल पुत्र पीरा का नाम डीलेट किये जाने का निवेदन किया है। तथा राजीनामा में यह भी अंकित किया है कि जगमाल पीरा का पुत्र न होकर मेगा का पुत्र है। वादीया मृत श्री पीरा की पत्नि है। यह तथ्य भी प्रतिवादीगण स्वीकार करते है। प्रदर्श 7ए से भी वादीया पीरा की पत्नि होना साबित है। उपरोक्त विवेचन व माफिक राजीनामा वादीया झुमीदेवी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

वादीया झुमीदेवी बेवा पीराराम जाति रेबारी निवासी सुरावा तहसील सांचौर द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि वाद पत्र में प्रस्तुत किये राजीनामा माफिक सरहद मौजा दधुडा के खेत खसरा नम्बर खसरा नम्बर 150 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 151 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 152 रकबा 1.65 हैक्टर, खसरा नम्बर 36 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 37 रकबा 2.84 हैक्टर, खसरा नम्बर 37/187 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 40 रकबा 0.29 हैक्टर जुमले रकबा 4.87 हैक्टर जिसके खाता नम्बर 13 तथा इसी ग्राम दधुड़ा के खेत खसरा नम्बर 161 रकबा 2.37 हैक्टर में दर्ज जगमाल वल्द पीरा 1/3 हिस्सा के स्थान पर वादीया झुमीदेवी को खातेदार घोषित किया जाता है तथा जगमाल वल्द पीरा का नाम डीलेट किये जाने का आदेश दिया जाता है तथा तहसीदार सांचौर को आदेश दिया जाता है कि उक्त आराजी में दर्ज जगमाल वल्द पीरा के स्थान पर वादीया झुमीदेवी का नाम इन्द्राज करे तथा जगमाल वल्द पीरा का नाम डीलेट करे। तथा शेष इन्द्राज यथावत रखावे। इसी अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पक्षकारान अपना –अपना खर्चा वहन करे।

सहायक कलेक्टर–सांचौर जिला जालोर

(ओम प्रकाश)
सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी) सांचौर
सहायक कलेक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
सांचौर

निर्णय आज दिनांक 06/12/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shailendra Singh
Date: 2022.05.31 11:16:38 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी)
सांचौर

सहायक कलेक्टर–सांचौर जिला जालोर

Scanned by CamScanner